रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04022021-224920
**CG-DL-W-04022021-224920**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**
साप्ताहिक
**WEEKLY**

सं. 04] नई दिल्ली, जनवरी 24 - जनवरी 30, 2021, शनिवार/ माघ 4 - माघ 10, 1942
**No. 04] NEW DELHI, JANUARY 24 - JANUARY 30, 2021, SATURDAY/ MAGHA 4 - MAGHA 10, 1942**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

**सा.का.नि. 06** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (वर्ग IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध आया, पशु परिचर, महिला परिचर (कनिष्ठ), महिला परिचर (**वरिष्ठ**), प्रयोगशाला परिचर, नर्सिंग अर्दली/परिचर, अर्दली, स्टोर खलासी, स्ट्रेचर वाहक और वार्ड परिचर/वार्ड बॉय के पद से है; और (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम (समूह 'घ') भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध वीडी मेल विजीटर और **सहायक** के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली में नर्सिंग परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, नर्सिंग परिचर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| नर्सिंग परिचर | 260* (2021)<br>आया (31)<br>पशु परिचर (1)<br>डार्क रुम परिचर (1)<br>ईसीजी परिचर (1)<br>महिला परिचर कनिष्ठ (1)<br>महिला परिचर वरिष्ठ (1) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये) | लागू नहीं होता। | 18 से 27 वर्ष के बीच।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सहायक (14)<br>प्रयोगशाला परिचर (16)<br>न्यूरो लैब परिचर (1)<br>नर्सिंग अर्दली/परिचर (158)<br>अर्दली (3)<br>प्लास्टर रुम परिचर (2)<br>स्टोर खलासी (4)<br>स्ट्रेचर वाहक (21)<br>वीडी मेल विजीटर (1)<br>वार्ड परिचर/वार्ड बॉय (4)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | | | | अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण 1**: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख़, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप **संघ राज्य क्षेत्रों** के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।<br>**टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने की नियत तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को **भेजने** के लिए कहा जाए। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य;<br>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र और<br>(iii) पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में अस्पताल कार्य का एक वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं।<br>**टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। | सीधी भर्ती द्वारा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। | | | |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :**<br>(i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;<br>(ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य;<br>(iii) उपनिदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12034/09/2018-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi, the 22nd January, 2021

**G.S.R. 06.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the posts of Aya, Animal Attendant, Female Attendant (Junior), Female Attendant (Senior), Laboratory Attendant, Nursing Orderly/Attendant, Orderly, Store Khalashi, Stretcher Bearer and Ward Attendant/Ward Boy; and (ii) the Doctor Ram Mahohar Lohia Hospital and Nursing Home (Group 'D') Recruitment Rules 1979, in so far as they relate to the posts of VD Male Visitor and Helper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Nursing Attendant (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nursing Attendant | 260* (2021)<br>Aya (31)<br>Animal Attendant (1)<br>Dark Room Attendant (1)<br>ECG Attendant (1)<br>Female Attendant Junior (1)<br>Female Attendant Senior (1)<br>Helper (14)<br>Laboratory Attendant (16)<br>Neuro Lab Attendant (1)<br>Nursing<br>Orderly/Attendant (158)<br>Orderly (3)<br>Plaster Room Attendant (2)<br>Store Khalasi (4)<br>Stretcher Bearer (21)<br>VD Male Bearer (1)<br>Ward Attendant/Ward Boy (4)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,<br>Non-Ministerial | Level-1 in the pay matrix (18000-56900) | Not applicable |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|
| (6) | (7) |
| Between 18 and 27 years.<br>(Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes in a accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)<br>**Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.<br>**Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names. | (i) 10th Standard pass or its equivalent qualification from a recognised Board;<br>(ii) First Aid Certificate from an Institution recognized by the Central Government or a State Government; and<br>(iii) one year experience in hospital work in a fifty bedded hospital.<br>**Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2**: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Two years | By direct recruitment |

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-**<br>(1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman;<br>(2) Head of Department of the concerned Department of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member;<br>(3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member. | Not applicable. |

[F. No. A. 12034/09/2018-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.